राकेश कुमार, भा0व0से0
मुख्य वन संरक्षक–सह–निदेशक,
हरियाली मिशन, बिहार, पटना।

हरियाली मिशन

पृष्ठभूमि :–

बिहार राज्य में कृषि रोड मैप के एक प्रमुख अवयव के रूप में हरियाली मिशन को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.79 प्रतिशत हिस्सा वृक्षों से आच्छादित है। इसमें से लगभग 3 प्रतिशत क्षेत्र अभिलिखित वन क्षेत्र से बाहर है। हरियाली मिशन का उद्देश्य वर्तमान के 9.79 प्रतिशत वृक्षाच्छादन क्षेत्र को अगले पाँच वर्षों (2012–17) में बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक किया जाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वन क्षेत्र के बाहर के 5.30 प्रतिशत भू–भाग को वृक्षावरण के अधीन लाने की आवश्यकता होगी, अर्थात् इस अतिरिक्त वृक्षावरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 4600 वर्ग किलोमीटर (4.60 लाख हे0) भूमि को वृक्षों से आच्छादित करना होगा। चूँकि राज्य में अभिलिखित वन भूमि के क्षेत्र को बढ़ाना संभव नहीं है, अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गैर वन भूमि एवं फार्म लैंड को वृक्षावरण के अधीन लाना आवश्यक है।

दृष्टि :–

हरियाली मिशन के उपरांकित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नवत नीति होगी :–

- वन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी के विकास/संवर्द्धन एवं भू–क्षरण की रोकथाम हेतु भू–एवं जल–संरक्षण उपायों के संपादन सहित वर्तमान में उपलब्ध वन भूमि के वनोपज/स्टॉक में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि एवं वनभूमि का पुनरूद्धार करना।
- सरकारी एवं निजी भूमि के साथ–साथ बंजर भूमि पर पौधारोपण करना।
- कृषि आय में बढ़ोत्तरी हेतु कृषि वानिकी का कार्यान्वयन।
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आय में वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु उक्त परिवारों को वनरोपण कार्यों एवं पौधारोपण स्थलों की सुरक्षा में शामिल करना।
- सरकारी पौधशालाओं, किसान पौधशालाओं एवं निजी पौधशालाओं की स्थापना कर अच्छी गुणवत्ता के पौधें उपलब्ध कराना।
- स्थान, बाजार एवं आवश्यकता का आकलन कर वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियों का चयन कर सफल वृक्षारोपण कराना।

हरियाली मिशन के उद्देश्य :–

- बिहार राज्य में वर्ष 2017 के अंत तक वृक्षाच्छादन क्षेत्र को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाना है।

- जलछाजन विकास के अन्तर्गत 2000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य जिसमें 1000 वर्ग किलोमीटर अवकृष्ट वन क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा पुनर्वासन कार्य सम्मिलित किया जाना है।
- कृषि वानिकी के द्वारा किसानों को अतिरिक्त/वर्द्धित आय का प्रबंध करने के साथ उनके आर्थिक स्तर पर उन्नयन करना।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को लगाय गये वृक्षों का पट्टा देकर जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता करना।
- राज्य में वनोत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि कर घरेलू आवश्यकता की पूर्ति में सहायता किया जाना।
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कर सुदृढ़ एवं विस्तारित किया जाना एवं राज्य के औद्योगिकरण को बढ़ावा देना।
- राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करते हुए जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना।
- तटबंधों, नहर एवं सड़क के किनारे तथा कृषि अनुपयोगी जमीनों पर विशेष रूप से वृक्षारोपण करना।

हरियाली मिशन की योजनाएँ तथा उनकी उपलब्धि

कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना

हरियाली मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषक बंधुओं के सहयोग से कृषि वानिकी योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में 3.6 करोड़ पॉप्लर एवं 2.4 करोड़ अन्य प्रजातियाँ (कुल 06 करोड़) पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है :–

योजना का उद्देश्य :– इस योजना में शामिल होने के इच्छुक किसानों को उनके पसंद के पौधे (यथा संभव) बरसात के मौसम में अपने खेत/बगान/मेढ़ पर लगाने के लिए निशुल्क दिये जाते हैं। जिसमें उनको पौधों की देखभाल के लिये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इन पौधों के बड़ा होने पर इससे होने वाली संपूर्ण आय पर शत्प्रतिशत अधिकार किसान बंधुओं का ही होता है।

योजना में दिये जाने वाले लाभ :–

- वृक्षारोपण एवं पौधों के देखभाल की तकनीकी जानकारी दी जाती है।
- पौधों की सही देखभाल करने एवं सुरक्षित रखने पर प्रथम वर्ष के अंत में 15/–रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 10/–रुपये एवं तृतीय वर्ष के अंत में 10/– रुपये प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाता है।

- वृक्षारोपण पूरे खेत में 2 मी0 x 2 मी0 या 3 मी0 x 3 मी0 की दूरी पर या अन्य फसलों के साथ या मेढ़ पर लगाया जाता है।

योजना में शामिल होने की पात्रता :

- आवेदक के अपने नाम से या लीज पर पौधे लगाने लायक भूमि होनी चाहिए।
- योजना में शामिल होने के लिए भूमि की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है।

रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य :–

(* आंकड़ा लाख में)

		A	B	C	D	E	
क्र0 सं0	वर्ष / लक्ष्य	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	कुल
1	अन्य प्रजाति के पौधे	20.1	60	50.5	44.5	64	**239.1***

उपलब्धि

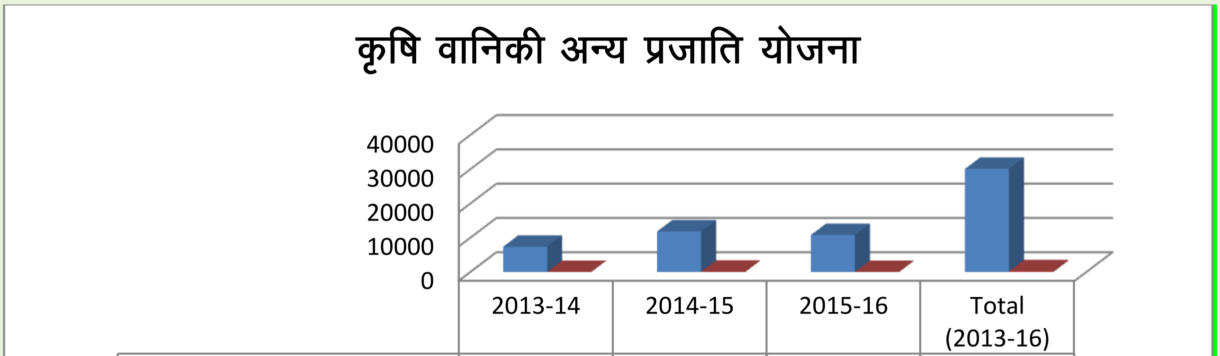

	2013-14	2014-15	2015-16	Total (2013-16)
No. of Farmers	7412	11863	10852	30127
No. of Total Plants (in Lakh)	71.06224	103.36698	90.88398	265.3132

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना

''कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना'' हरियाली मिशन, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार द्वारा उद्यमियों/किसानों/जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर पॉप्लर पौधा रोपण के लिए है।

योजना का उद्देश्य :–

- किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण।
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराकर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना।

पॉप्लर ई0 टी0 पी0 की उपलब्धता :– इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को पर्यावरण एवं वन विभाग के स्थानीय पौधशालाओं से पॉप्लर के पौधें निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। पॉप्लर रोपण हेतु न्यूनतम दस फीट ऊँचाई एवं 2.5 ईंच गोलाई के पौधों को रोपण के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

योजना में दिए जाने वाले लाभ :–

- लाभुकों को पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण एवं पौधों के देखभाल की तकनीकी जानकारी प्रशिक्षण में दी जाती है।

- पौधों की सही देखभाल करने एवं सुरक्षित रखने पर लाभुकों को प्रथम वर्ष के अन्त में रू0 15/–, दूसरे वर्ष के अन्त में रू0 10/– एवं तृतीय वर्ष के अंत में रू0 10/– प्रति पौधा प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।
- पौधों पर सम्पूर्ण अधिकार किसान बंधुओं का होता है।

रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य :– कृषि वानिकी योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों में कुल 360.9 लाख पॉप्लर पौधों का रोपण किया जायेगा।

(आंकड़ा लाख में)

क्र0 सं0	वर्ष/लक्ष्य	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	कुल
1	पॉप्लर ई0 टी0 पी0 उत्पादन	6.2	33.5	103	135.101	151.6	**429.401**
2	दूसरे राज्यों से ई0 टी0 पी0 क्रय/आई0 सी0 एफ0 आर0 ई0 से प्राप्ति	8	25	12	5	0	**50**
3	कुल ई0 टी0 पी0	14.2	58.5	115	140.101	151.6	**479.401**
4	रोपण हेतु ई0 टी0 पी0 की आपूर्ति	4.9	30	77	98	151	**360.9**

पॉप्लर के साथ धान की खेती

पॉप्लर के साथ ओल की खेती

उपलब्धि

कृषि वानिकी पॉप्लर ई0 टी0 पी0 योजना

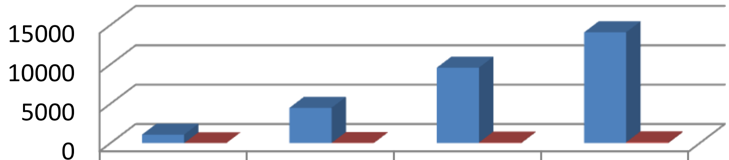

	2012-13	2013-14	2014-15	Total (2012-15)
No. of Farmers	1088	4492	9591	14083
Total Poplar Plants (in Lakh)	4.86273	31.71335	87.52396	124.10004

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनान्तर्गत "पॉप्लर पौधशाला" योजना

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला अन्तर्गत पॉप्लर पौधशाला स्थापना योजना, हरियाली मिशन, द्वारा उद्यमियों/किसानों/जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर पॉप्लर पौधशाला स्थापित करने के लिए चलायी जा रहा है। इस योजना में शामिल होने वाले लाभुकों/कृषकों को निःशुल्क पॉप्लर की कटिंग उपलब्ध कराया जाता है। इससे पॉप्लर के पौधे तैयार होते हैं, जिसे विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर वापस खरीद लिया जाता है।

योजना का उद्देश्य :–

- कम समय में अधिक–से–अधिक पौधा तैयार करना।
- किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

वृक्षों/कटिंग की उपलब्धता :– इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को विभाग के स्थानीय कार्यालय, स्थापित पॉप्लर पौधशाला से पॉप्लर कटिंग निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है। लाभुकों को 10,000/– (दस हजार) कटिंग प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध कराये जाते है।

कृषकों/लाभुकों को लाभ :– हरियाली मिशन के तहत पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर निर्धारित राशि कुल तीन किस्तों में दी जाती है।

- ❖ प्रथम किस्त 20% मार्च में।
- ❖ द्वितीय किस्त 30% अक्टूबर में।
- ❖ तृतीय किस्त 50% दिसम्बर में।

(वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह राशि 13 से 15 रूपये प्रति पौधा निर्धारित की गयी है।)

1. **रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य** :– कृषि वानिकी योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों में कुल 360.9 लाख पॉप्लर पौधों का रोपण किया जायेगा जिसके लिए पॉप्लर नर्सरी की स्थापना का लक्ष्य निम्नवत् है –

(आंकड़ा लाख में)

क्र0 सं0	**वर्ष / लक्ष्य**	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**2016–17**	**कुल**
1	**कटिंग हेतु ई0 टी0 पी0 की आवश्यकता**	9.3	28.48	37.53	42.10	0.56	**117.97**
2	**नर्सरी हेतु कटिंग की संख्या (लगभग)**	55.8	171.00	225.00	253.00	3.38	**708.18**
3	**पौधशाला क्षेत्रफल एकड़**	558	1710	2250	2530	33.8	**7081.8**
4	**पॉप्लर ई0 टी0 पी0 उत्पादन**	33.5	103	135.1	152	2.03	**425.63**

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (पॉप्लर) योजना

उपलब्धि

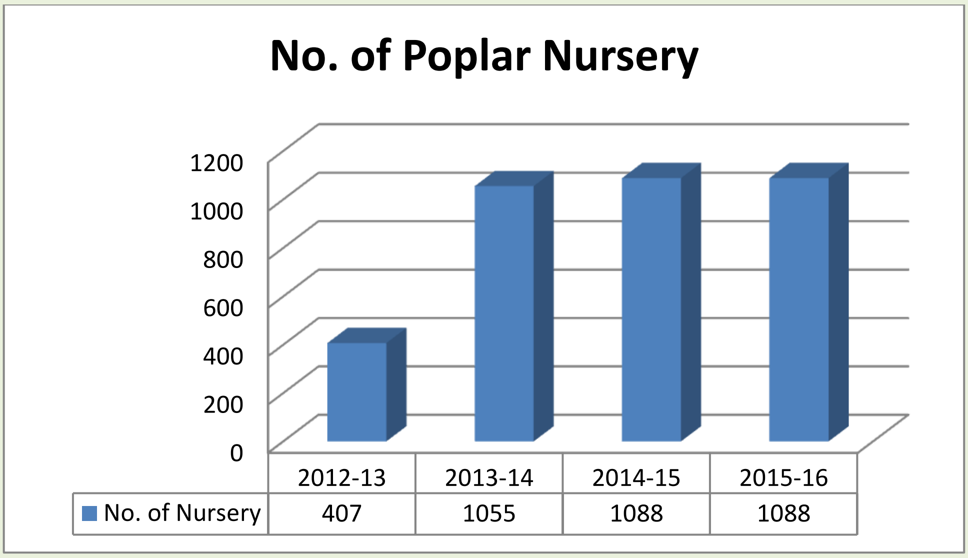

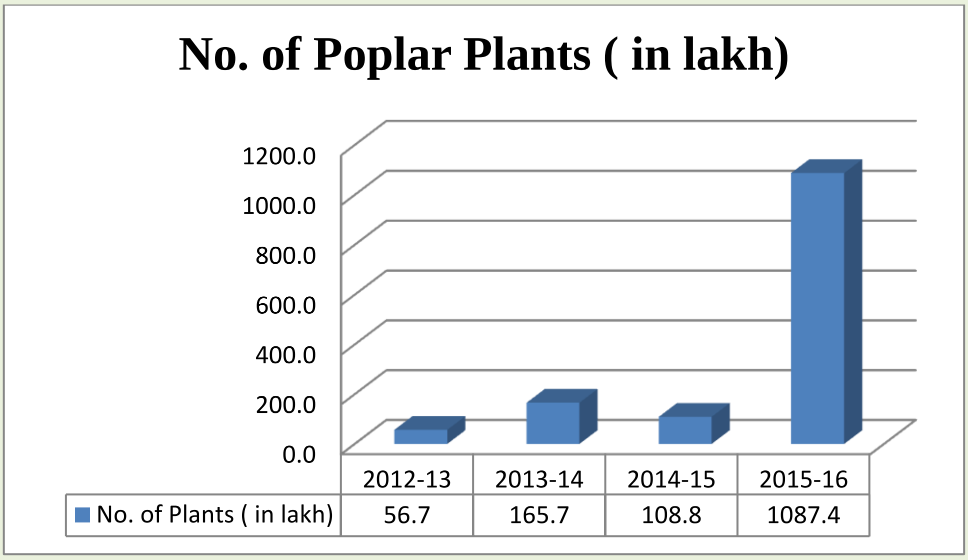

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (अन्य प्रजातियों के लिए) योजना

वनों के बाहर वृक्ष आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है। राज्य में विभागीय एवं कृषि वानिकी के लिए बड़े पैमाने पर पौधों की जरूरत होगी। जिसके लिए पौधों की आपूर्ति निजी पौधशाला से भी करने का प्रावधान किया गया है जिसमें उद्यमियों/कृषकों को पौधशाला स्थापना के लिए आवश्यक सहयोग दिए जाते है। इसमें अलग–अलग प्रजातियों के पौधे तैयार होते हैं।

योजना का उद्देश्य :–

- अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करना।
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

पौधशाला के लिए सहयोग :– पौधशाला स्थापना के लिए पॉलिथीन (बड़े ट्यूब/छोटे ट्यूब) न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाता है। गोबर, खाद, रसायनिक खाद, पौधशाला उपकरण इत्यादि भी न्यूनतम दर पर पौधशाला संचालकों द्वारा क्रय कराये जाने में सहयोग किया जाता है।

योजना में दिए जाने वाले लाभ :–

- छोटे ट्यूब के पौधों के लिए दो किस्तों में (पहला किस्त देय राशि का 40%, फरवरी माह में दूसरा किस्त 60% मई माह में) भुगतान किया जाता है।
- बड़े ट्यूब के पौधों के लिए तीन किस्तों में (20% मार्च में, 30% दुर्गापूजा के पहले, 50% दुर्गापूजा के बाद निर्धारित राशि का) क्रमशः भुगतान किया जाता है।
- इस वित्तीय वर्ष के लिए यह राशि छोटे ट्यूब– रुपये 6.30 एवं बड़े ट्यूब रुपये 19. 60 निर्धारित की गयी है।
- इन पौधशालाओं से प्राप्त पौधों को कृषि वानिकी योजनान्तरर्गत किसानों की जमीन पर रोपण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य :– इस योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों में कुल 874.73 लाख पौधे तैयार किए जायेंगे।

क्र0	वर्ष	पौधशाला संख्या	प्रति इकाई पौधों की संख्या	कुल पौधे (लाख में)
1	2	3	4	5
1.	2012–13	354	20,000	70.8
2.	2013–14	534	20,000	106.8
3.	2014–15	1212.9	20,000	242.58
4.	2015–16	1182.9	20,000	236.58
5.	2016–17	1089.85	20,000	217.97
योग पाँच वर्ष		**4373.65**		**874.73**

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (अन्य प्रजाति)

उपलब्धि

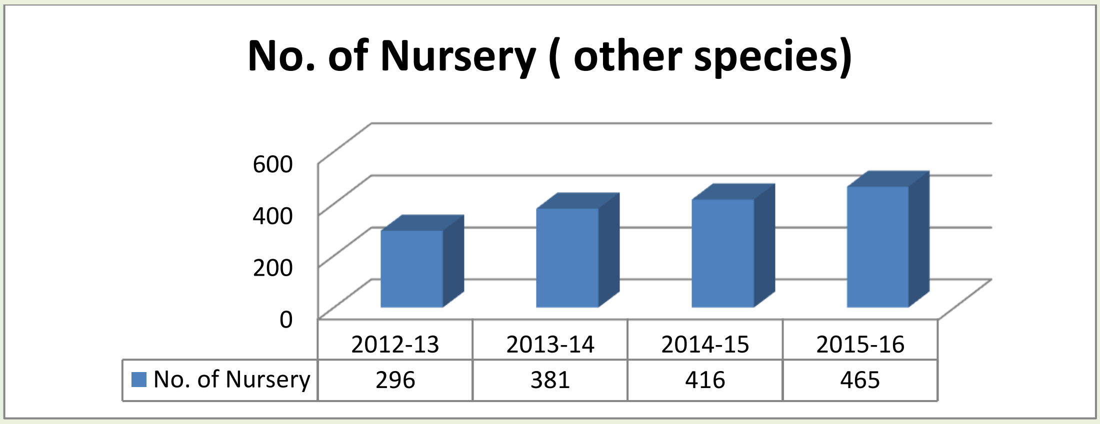

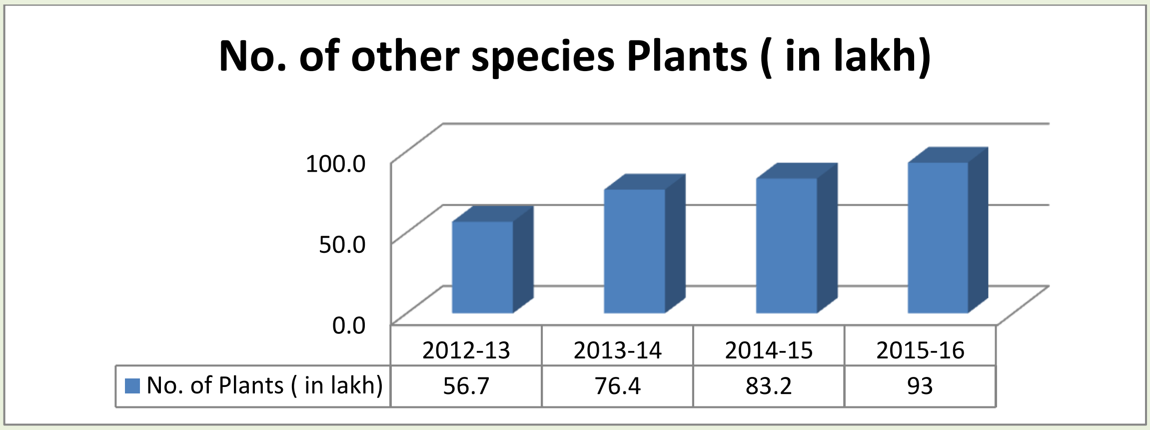

<u>वृक्ष संरक्षण योजना</u>

प्राकृतिक वनों के बाहर अवस्थित पथ तट, नहर तट तथा बांधों के तटबंध इत्यादि पर रोपित वृक्षों की ग्रामीणों सहभागिता से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वृक्ष संरक्षण योजना लागू किये जाने का संकल्प सरकार द्वारा लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण स्थल से निकट के ग्रामीणों में से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को बीस वृक्षों की इकाई बनाकर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

योजना का उद्देश्य :

- वृक्षारोपण में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ाकर वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना।
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो को वृक्षारोपण से जोड़कर पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनके लिए अतिरिक्त आय की व्यवस्था करना।

योजना का विस्तार :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसूचित वन भूमि के अतिरिक्त पथ तट, नहर तट, नदी तटबंध सहित सरकारी भूमि पर वर्ष 2005–06 एवं उसके बाद किये गये सभी वृक्षारोपणों पर यह योजना लागू है।

(ख) समान्यतः बीस वृक्षों की एक इकाई वृक्षपाल (चयनित लाभुकों) को तीस वर्षों की अवधि के लिए दी जायेगी, लेकिन निर्धारित संख्या के इच्छुक योग्य आवेदनों के नहीं रहने पर एक से अधिक (अधिकतम चार) इकाई को आवंटित किया जायेगा।

योजना का लाभ :

तीस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर वृक्षों के विदोहन के पश्चात् उपलब्ध प्राप्त काष्ट (लकड़ी)पर वृक्षपाल का पूर्ण अधिकार होगा। इसके पूर्व वृक्षों के फल–फूल, टहनी, चारा इत्यादि का उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होगा, ताकि वृक्ष की क्षति न हो। समय पर विदोहन के पश्चात् उसी भूमि पर वृक्षपाल द्वारा पुनः वृक्षारोपण किया जायेगा तथा सामान्य परिस्थिति में उसी लाभुकों को अगले तीस वर्षों के लिए भी इकाई का आवंटन किया जायेगा।

मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना

विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य में अवस्थित सभी मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 में अध्ययनरत छात्र–छात्राएँ इस योजना में शामिल किए जाते हैं। छात्रों को प्रकाशन विभाग, नेश्नल बुक ट्रस्ट या अन्य सरकारी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित छात्र उपयोगी ज्ञानवर्धक शिक्षाणेत्तर पुस्तकें/पत्रिकाएँ जिनका क्रय मुल्य 100 रूपये से 300 रूपये (औसतन 200 रूपये प्रति छात्रा) हो प्राप्त कर छात्र/छात्राओं को पौधों के साथ दी जाती है।

उपलब्धि

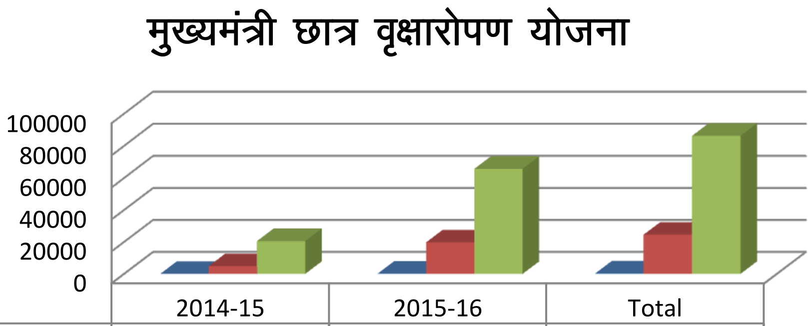

	2014-15	2015-16	Total
No. of Schools	38	188	226
No. of Students	4813	19688	24501
No. of Distributed Books	20500	65681	86181

शोध कार्य

हरियाली मिशन के तहत् राज्य में वानिकी शोध यथा बीज संग्रहण, उपचार, अच्छे वृक्षों की पहचान, क्लोनल ट्रायल, टिशूकल्वर लैब की स्थापना, डिमोन्सट्रेशन प्लॉट निर्माण, मृदा जाँच, विभिन्न एग्रोकलाईमेटिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रजाति का चयन, जलवायु परिवर्त्तन को देखते हुए विभागीय कार्यक्रमों एवं वानिकीकरण कार्यों की प्रचलित प्रक्रियाओं में परिवर्त्तन आदि विषय पर शोध कार्य किए जाने की योजना है। इसके लिए विभाग के द्वारा आई0सी0एफ0आर0ई0 के साथ अनुबंध कर कृषि वानिकी की प्रजातियों यथा – पॉप्लर, शीशम, सैलिक्स, मेलिया, यूकेलिप्टस इत्यादि के पर शोध कार्य किया जा रहा हैं। इसके लिए कृषकों के खेतों डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट तैयार कर प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है।

किसानों का प्रशिक्षण

पर्यावरण एवं वन विभाग के पहल पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आई0सी0एफ0आर0ई0) द्वारा हल्दवानी, पंत नगर एवं झांसी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। किसानों को पौधशाला एवं कृषि वानिकी के अन्तर्गत लगाये जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के पौधों का मानक संबंधित प्रशिक्षण दी जाती है।

उपलब्धि

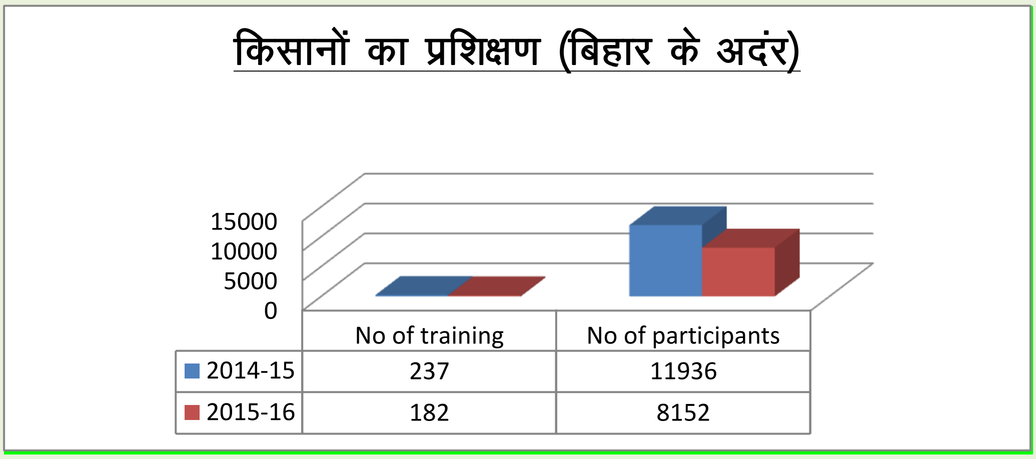

किसानों का प्रशिक्षण (बिहार के बाहर)

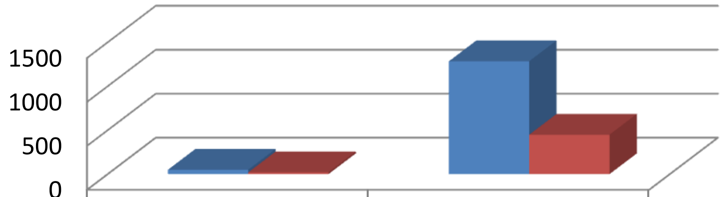

	No of training	No of participants
2014-15	50	1283
2015-16	20	448

मृदा एवं जल संरक्षण योजना

विभाग द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे है। इस योजना के तहत् विभिन्न संरचनाएँ बनाकर पहाड़ों पर मृदा का क्षरण होने से बचाव तथा पहाड़ों की ढालो पर जल का संचयन किया जाता है। इस योजना में नालन्दा, मुंगेर, गया, बेतिया, बांका, जमुई, कैमूर, औरंगाबाद एवं रोहतास वन प्रमण्डलों को शामिल किया गया है।

नई योजनाएँ

हर परिसर, हरा परिसर योजना

इस योजना में राज्य के सभी जिलों के विभिन्न प्रकार के प्रिरिसर यथा–स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थानों, कार्यालयों, कलबों, समितियों एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी परिसरों को शामिल किया गया है। एक संस्था/परिसर को न्यूनतम 50 अधिकतम 1000 पौधों नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। वितरित/रोपित किये गये पौधों पर चयनित संस्थाओं का ही सम्पूर्ण अधिकार होता है।

उपलब्धि

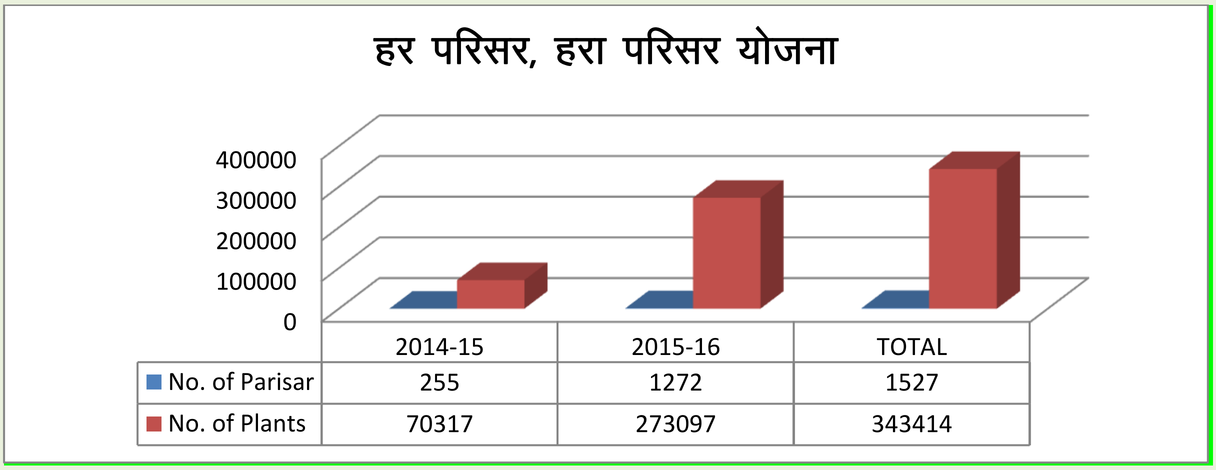

आगम–निर्गम पथ

राज्य के जिला एवं अनुमंडल मुख्यालयों में प्रवेश करते समय शहर की सुन्दरता में वृद्धि एवं पर्यावरण में सुधार होने तथा शहर में आने–जाने वाले लोगों को छाया प्राप्ती, वृक्ष लगाने के प्रति आम जन में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शहरी वानिकी योजनान्तर्गत जिला एवं अनुमंडल मुख्यालयों को जोड़ने वाले पथों पर पौधा रोपण करने की योजना की शुरूआत वित्तीय वर्ष – 2015–16 से की गई है। इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में कुल– 686 कि0मी0 में कुल– 294146 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिसकी उपलब्धि निम्न् है :–

उपलब्धि

उपलब्धि	
कि० मी०	पौधों की संख्या
671	**293746**

राष्ट्रीय स्वछ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga)

बिहार में गंगा की कुल लम्बाई 445 कि0मी0 है। गंगा के प्रमुख्य सहायक नदियाँ– घाघरा, गंडक, कोशी एवं सोन है। बिहार के 20 जिले जहाँ से गंगा एवं उनकी सहायक नदियां बहती है उन जिलों में ''नमामि गंगे योजना'' के तहत् पौधारोपण किया जाना है। बिहार में गंगा 12 जिलों – बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगरिया, मुंगेर, कटिहार एवं भागलपुर से बहती है। इस योजना के तहत् आद्रभूमि का विकास एवं ईको पार्क का निर्माण से गंगा एवं उसके सहायक नदियों के किनारे बसे स्थानीय समुदायों को आय का स्रोत्र प्राप्त होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन परियोजना से पानी के प्रवाह में सुधार (दोनो गुणत्मक एवं मात्रात्मक) होगी। योजना का क्रियांवयन करने हेतु Phase 1 (2015-16) से (2020-21) एवं Phase 2 (2021-22) से (2024-25) कुल वित्तीय राशि 102222.61 लाख रूपये की आवश्यकता होगी।

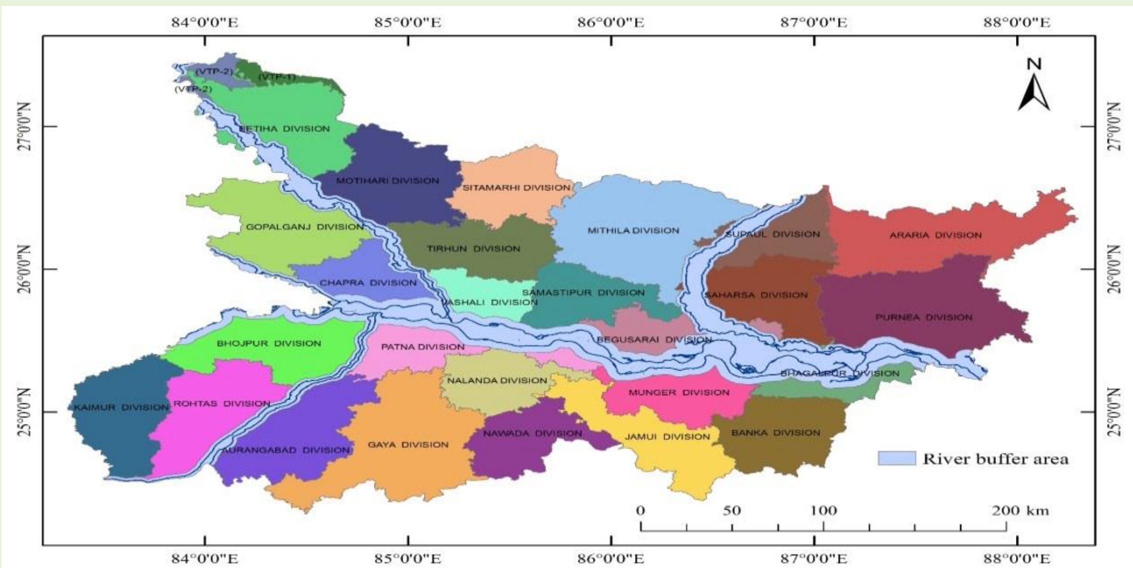

उत्सव

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार
वन्यप्राणी सप्ताह, 2-8 अक्टूबर - 2013

डॉल्फिन दिवस
5 अक्टूबर 2013
पर्यावरण एवं वन विभाग

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
धरती का हम कर्ज चुकायें
आइये वन महोत्सव मनायें
पेड़ लगाकर धरा सजाऐं
• वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं जो हमें प्राण वायु ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं।
• वृक्ष जीवन देते हैं एवं सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी के समान बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन सतत् उपलब्ध कराते हैं।
• वृक्ष बाढ़, अकाल, भूस्खलन जैसी आपदाओं के खतरे को कम कर हमें सुरक्षित रखते हैं और पर्यावरण में संतुलन बनाये रखते हैं।
आइये हम भी मानव होने का धर्म निभायें, सुरक्षित भविष्य के लिये वृक्ष लगायें
वन महोत्सव
2013
www.forest.bih.nic.in

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
हरियाली बचायें, हरियाली बढ़ायें
अपने भविष्य को सुरक्षित बनायें
हरियाली समागम
14-08-2013
10:00

रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर
वृक्ष सुरक्षा दिवस
बिहार सरकार
आईये रक्षाबंधन पर्व के शुभ अवसर पर संकल्प लें..
वृक्षों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन का
श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार
वृक्षों की सुरक्षा का इतिहास
मुख्य कार्यक्रम
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं गणमान्य व्यक्तियो के द्वारा वृक्षो को रक्षा सूत्र बाधना
दिनांक : 21 अगस्त, 2013 श्रावण पूर्णिमा
समय 10:30 बजे पूर्वाह्न
स्थान : राजधानी वाटिका (इको पार्क), पटना
वृक्ष
प्राकृतिक सौन्दर्य बढ़ाना है, हरा-भरा बिहार बनाना है।
पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी Website: www.forest.bih.nic.in, email id :-hariyalimission@gmail.com

T.O.(Env)

बिहार सरकार
"हर परिसर, हरा परिसर योजना" में शामिल होने का सुअवसर
"वृक्ष लगायें, वातावरण को स्वच्छ बनायें"
निजी एवं सरकारी परिसरों में रोपित करने के लिए विभाग के द्वारा ये पौधे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। इन्हें ठीक से लगाना।
पौधों की देखभाल भी करनी होगी भईया? तभी तो वातावरण स्वच्छ रहेगा।
योजना का उद्देश्य
योजना में शामिल परिसर
योजना में दिये जाने वाले लाभ

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
"मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना"
"शहरों की हरियाली, सबकी खुशहाली"
श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार
मालूम है, मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना से शहरों में सभी स्थलों पर पौधे लगाये जा रहे हैं।
हाँ, मैंने भी अपने घर के सामने की सड़क के किनारे पौधे लगाने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनुरोध किया है। तभी तो शहर हरा-भरा दिखेगा।
विस्तृत जानकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय से या विभाग की बेबसाईट www.forest.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

आइये संकल्प लें
पर्यावरण की रक्षा का
पृथ्वी की सुरक्षा का
बिहार पृथ्वी दिवस 2013

पर्यावरण एवं वन विभाग
मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना
बिहार सरकार
छात्र–छात्राओं के मन में वन एवं पर्यावरण के महत्व एवं उसके संरक्षण के प्रति लगाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से छात्र वृक्षारोपण योजना प्रारंभ की गई।
कैसो भाग्यवान... ये कहां से पौधे नोच-नाच कर ला रहे हैं?
नहीं बापू! हमें छात्र वृक्षारोपण योजना से पौधे मिले हैं...हम पौधे लगाएंगे और ईनाम में किताब भी...
योजना में दिये जाने वाले लाभ/प्रोत्साहन सामग्री
विस्तृत जानकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय से या विभाग की बेबसाईट www.forest.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

पर्यावरण एवं वन विभाग
जब हरी–भरी वसुन्धरा होगी।
तब शान्त, स्वस्थ जनता होगी।।
वन महोत्सव, जुलाई 2015
बिहार सरकार
वन विभाग कितने पेड़ लगाता है, इसकी नर्सरी कहां है, पता ही नहीं चलता है!
ऐसा नहीं है भइया! पर्यावरण एवं वन विभाग की वेबसाइट www.forest.bih.nic.in में ई-नर्सरी, ई-प्लांटेशन और ई-जे॰एफ॰एम॰ में पूरी सूचना दी गई है।
वन महोत्सव
वृक्ष धरती के अद्भुत एवं अनमोल धरोहर है आइये, सुरक्षित भविष्य के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें तथा इनकी देखभाल करें।
वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं, जो हमें प्राण–वायु ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं।
वृक्ष जीवन देते हैं एवं बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन सतत् उपलब्ध कराते हैं।
वृक्ष बाढ़, अकाल, भूस्खलन जैसी आपदाओं के खतरों को कम कर हमें सुरक्षित रखते हैं और पर्यावरण में संतुलन बनाये रखते हैं।
विभाग की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने के लिए विभाग की वेबसाईट www.forest.bih.nic.in देखें।

T.O.(Env)